भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3999
जिसका उत्तर बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

खाद्य पदार्थों का मूल्य

3999. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खाद्य पदार्थों और दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के मूल्य में असामान्य बढ़ोतरी हुई है;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या देश की साधारण जनता बढ़ती महंगाई से अत्यधिक त्रस्त है और उन्हें घर की खाद्य संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;
(घ) क्या देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई हैं;
(ङ) क्या सरकार का चीनी की बढ़ती कीमतों का सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ने को देखते हुए चीनी की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और
(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में स्थित 579 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 41 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों की निगरानी करता है। पिछले वर्ष की तुलना में अनाज, दालों और आलू जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें काफी हद तक स्थिर हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, बफर स्टॉक से स्टॉक जारी करना, स्टॉकधारक संस्थाओं द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण और स्टॉक सीमा लागू करने जैसे उचित निर्णय लेने हेतु कीमतों की दैनिक रिपोर्ट और संभावित मूल्य रुझानों का विधिवत विश्लेषण किया जाता है।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नज़र रखती है। समिति नियमित रूप से आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों की स्थिति और संभावित रुझानों की समीक्षा करती है तथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि और निर्यात-आयात नीतियों में युक्तिकरण के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

(घ): देश में जून 2026 से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का रुझान दिख रहा है। 06.08.2026 तक, देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 50.14 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि पिछले वर्ष 2024-25 चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान यह कीमत 45.51 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

(ङ): सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाज़ार में खपत के लिए उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध हो। परिणामस्वरूप, सरकार चीनी की एक्स-मिल और खुदरा कीमतों पर निरंतर नज़र रख रही है और घरेलू उपयोग के लिए चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने हेतु, केंद्र सरकार ने 13.05.2026 से चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा, 01.08.2026 से देश भर में चीनी डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा 400 टन लागू की गई है और यह आदेश 30.11.2026 तक लागू रहेगा।

(च): पिछले तीन चीनी मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन और निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है:

चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर)	**शुद्ध चीनी उत्पादन (लाख मीट्रिक टन में)**	**निर्यात (लाख मीट्रिक टन में)**
2022-23	330	63
2023-24	320	1
2024-25	261	9
